न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–407 सन् 2007

दौलती देवी व अन्य.....................वादीगण

बनाम

रणविजय सिंह वो अन्य ....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 07.07.2022

प्रतिवादी सं0 03 वो 04 की ओर से हाजिरी है। वादी अनुपस्थित है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 4 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 16.12.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उक्त वाद के प्रतिवादी सं0 02 रामनाथ सिंह अपने निवास स्थान पर ही दिनांक 22.10.2020 को निधन हो गया है। इसलिए प्रतिवादी सं0 02 का नाम इस वाद से कलमजद कर इनके वारिसानों को उक्त वाद में प्रतिस्थापित होना न्याय के लिए जरूरी हो गया है। वादी की ओर से यह सवाल थोड़ा विलंब से दाखिल किया गया है जिसका मूल कारण कोरोना महामारी है। सवाल दाखिल करने में वादी जानबूझकर विलंब नहीं किया है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 02 रामनाथ सिंह का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाए। वादी की ओर से धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने हेतु तथा अबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु भी आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 1702.2022 को दाखिल किया गया। जिसमें उनका कथन है कि वादी ने सवाल दिनांक 16.12.2021 पोषणीय नहीं है। प्रतिवादी सं0 02 की मृत्यु की तिथि भी सही नहीं है। जिस कारण वादी का आवेदन दिनांक 16.12.2021 खारिज योग्य है। अतः निवेदन है कि वादी का आवेदन दिनांक 16.12.2021 को खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी का कथन है कि उक्त वाद के प्रतिवादी सं0 02 रामनाथ सिंह थे जिनकी मृत्यु दिनांक 22.10. 2020 को अपने निवास स्थान पर हो गई है। वादी की ओर से प्रतिवादी सं0 02 का नाम कलमजद करने तथा उनके कानूनी वारिसानों को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। वादी की ओर से प्रतिस्थापना आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है तथा वाद अबेट कर गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल उपरोक्त आवेदन को 500/–रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए तथा उपसमन अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे खर्च की राशि प्रतिवादी को प्रदान कर प्रतिवादी सं0 02 रामनाथ सिंह का नाम कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को उक्त वाद में प्रतिस्थापित करें।

वाद दिनांक .... को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।